

FORM-II

SDM	Supdt.	SDC
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(for projects other than linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS ADRA-1 (855)/16-

Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance to the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.87.36 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Revenue Department for the construction of Mini Secretariat at Jhandutta which falls in the jurisdiction of Village Jhandutta Soam Gram Panchyat Jhandutta, Tehsil Jhandutta, Bilaspur District, H.P.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.87.36 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The concerned Gram Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and it has given its consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of the proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Village Jhandutta Soam** has been enclosed.
- The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha members present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha has given its consent to it;
- The Rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

[Signature]
Rajeshwar Goel (I.A.S.)

Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

dated *29-10-2019*

Endst No- as above- *118911*

Copy to the Sub Divisional Officer Jhandutta, District Bilaspur, H.P. for further necessary action.

[Signature]
Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

SDM	Supdt.	FRA

Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Rajeshwar Goel (I.A.S.), Deputy Commissioner, Bilaspur on 19-10-2019 at 4-30 P.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	2.87.36 hectares	Diversion of land Mini Secretariat at Jhandutta.
2.	0.60.58 hect.	Diversion of land Kaller to Kaller village road, Tehsil Jhandutta.
3.	3.26.36 hect.	Diversion of land Dhani to Kharli road at Sub Tehsil Kalol.

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)

2. Parshotam Kumar Sharma,
Zila Parishad. (Member)

3. Kamla Devi,
Zila Parishad. (Member)

4. Saroj Bhai Patel, D.F.O.,
Distt. Bilaspur (H.P.)
(Member)

5. Vinay Dhiman,
Additional District Magistrate,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

6. Rajeshwar Goel (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

4239
7-11-2019

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C), JHANDUTTA
DISTRICT BILASPUR (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional level
Committee constituted under Scheduled Tribe & Other
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)
Act. (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Divisional level Committee
Jhandutta Sub Division constituted under Forest Right
Act. 2006 was held under the
Chairmanship/chairpersonship of Sub Divisional Officer
(C), Jhandutta on 06-02-2019 at 11-00 AM at Jhandutta
in which the application(s) claiming rights in 02-87-
36 Hect. (38-04 Bighas) Forest areas under Forest Right
Act. 2006 of the following applicant, duly processed
and recommended by the Forest Right Committee of
establishment of Mini Secretariat at Jhandutta, Gram
Sabha were discussed to consider the same for
recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed
discussion the following decision were taken on the
application.

Name of Applicant Decision (Recommended) ✓
Sub Divisional Officer,
Jhandutta, Distt. Bilaspur (HP).

Place: Jhandutta

Dated:



Sub Divisional Officer (C),
Jhandutta, Distt. Bilaspur (HP).

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि मोजा झंडूता सोयम परगना गेहडूवी तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में खसरा न 1901/18/11, 12/ खाता खातोंनी न 38.4. में बीघा (हेक्टेयर) में वन 2187-36 अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमे मुहाल के कुल मतदाताओं का 1/2 भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए | उपस्थित मतदाताओं/ लोगों नापने में से वन अधिकार समिति का गठन मुताबिक मार्ग दर्शिका 1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वंहा इसके बदले 1/3 महिला सदस्य होंगी के अनुसार होगी |

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सुचना जगह -जगह मुहाल झंडूता सोयम के मुख्य स्थानों पर चस्पान क्र धी गई थी | 90 दिनों या जो भी लागु हो के भीतर किसी भी प्रकार का आक्षेप /आपतिनही हुई |

वन अधिकारसमिति के गठन के 90 दिनों या जो भी लागु हो के उपरान्त समिति की बैठक कि गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मोजा झंडूता सोयम परगना गेहडूवी तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में किसी का भी वन अधिकार का दावा /आक्षेप प्राप्त नही हुआ | समिति द्वारा प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम पंचायत झंडूता हेतु प्रेषित क्र दी गई |


अध्यक्ष/सचिव
सचिव वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत झंडूता, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (H.P.)
वन अधिकार समिति

ग्राम झंडूता सोयम तह झंडूता
जिला बिलासपुर हि


अध्यक्ष/सचिव
प्रधान वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत झंडूता, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (H.P.)
वन अधिकार समिति

ग्राम झंडूता सोयम तह झंडूता
जिला बिलासपुर हि प्र


Panchayat Secretary
G.P. Jhandutta
Dev. Block Jhandutta,
Distt. Bilaspur (H.P.)

88

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE-11

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या -- 08

दिनांक 11.08.2019.

ग्राम सभा झण्डूता की बैठक आज दिनांक को 11.08.2019 बजे स्थान 2 P.M में श्री/श्रीमती कृष्णा जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें झण्डूता सोमम गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा झण्डूता सोमम तह झण्डूता जंगल / वन क्षेत्र में मिनी सचिवालय निर्माण झण्डूता जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, के लिए खसरा न 190/18/1/15/1 रकवा तादादी 23.4 बीघा (23.4 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
-	-	-	-
-	-	-	-

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
-	-

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।
या
अध्यक्ष/सचिव Sumanjay
वन अधिकारी समिति, राजस्व एवं सोमम
ग्राम पंचायत झण्डूता, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अध्यक्ष/सचिव Sumanjay
वन अधिकारी समिति, राजस्व एवं सोमम
ग्राम पंचायत झण्डूता, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान झण्डूता

दिनांक 11.08.2019.

Agar
Panchayat Secretary
G.P. Jhandutta
Dev. Block Jhandutta,
Distt. Bilaspur (H.P.)

ग्राम वासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



हस्ताक्षर [Signature]
दिनांक 11.08.2019

29

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE- V

ग्राम सभा

विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र

प्रतिलिपि प्रस्ताव ----

गणपूर्ति 179/713

11/08/2019 ✓

दिनांक

प्रस्ताव संख्या ---- 8

विषय :-मिनी सचिवालय झंडूता जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की स्थापना हेतु मोजा 1901/18/1, तह झंडूता में जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 15/1, रकवा तादादी 38.4 बीघा (2.87.36 हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा झंडूता की बैठक आज दिनांक 11/08/2019 को 2:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत झंडूता जिला बिलासपुर(हि प्र)

में की गई जिसमें विभाग हिमाचल प्रदेश /संस्था को मिनी सचिवालय की स्थापना हेतु झंडूता सोयम

जंगल /वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 15/1 रकवा तादादी 38.4 बीघा (2.87.36 हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियो ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है /क्र ली गई है तथा प्रस्तावित खसरा न 15/1 रकवा तादादी 38.4 बीघा (2.87.36 हेक्टेयर) वन भूमि को अधोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा झंडूता की सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम पंचायत झंडूता

दिनांक 11/08/2019

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव झंडूता
ग्राम पंचायत झंडूता, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हिप्रो)

अध्यक्ष/सचिव
ग्राम पंचायत झंडूता
ग्राम पंचायत झंडूता, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हिप्रो)



अधिकृत हस्ताक्षर
Panchayat Secretary
G.P. Jhandutta
Dev Block, Jhandutta
Distt. Bilaspur (H.P.)

प्रस्तावकर्ता
दिनांक

कार्यवाही रजिस्टर

(8)

प्ररूप-17
नियम 10 और 34

म पंचायत.....

विकास खण्ड

जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

1	उपस्थित सदस्यों के नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	3
437	अंकेरी चंडेल	अपेक्षा	
438	दिक्षा कुमारी	अपेक्षा	
439	सुमन कुमारी	अपेक्षा	
440	जगीर सिंह	अपेक्षा	
441	विमला देवी	अपेक्षा	
442	सन्तोष कुमारी	अपेक्षा	
443	Santosh Kumari	अपेक्षा	
444	कुमला देवी	अपेक्षा	
445	मि. श्रीलाल	अपेक्षा	
446	तारा देवी	अपेक्षा	
447	सुनीता कुमारी	अपेक्षा	
448	मौनिका देवी	अपेक्षा	


 Panchayat Secretary
 G.P. Jhandutta
 Dev. Block Jhandutta,
 Dist. Bilaspur (H.P.)

पद्मजा कुमारी	अपूर्वा सोमन	Nand Lal Chand
रमेश चन्देल	७	Ram Chandra
विक्रम देवी	७	विक्रम देवी
जगदीश	७	जगदीश
सीता राम	७	सीता राम
उषा देवी	७	उषा देवी
शारिता देवी	७	शारिता देवी
गणेश	७	Ganesh
प्यार सिंह	७	प्यार सिंह
सनीष कुमार	७	मंत्री कुमार
सुनील कुमार	७	S. Kumar
जांचू कुमार	७	Janchu Kumar
सुनील कुमार	७	Sunil Kumar
सुनील कुमार	७	सुनील कुमार
सीता	७	सीता

प्रमाणित करें कि प्रकृत

प्रकाश २०१८

प्रकाश प्रकाशित (११/११/१८)

कानूनालय २०१८

[Signature]
 General Secretary
 G.P. Jhandutta
 Dev. Block Jhandutta,
 Distt. Bilaspur (H.P.)

प्रकाश १० अक्टूबर २०१८

MSR-13

कार्यवाही रजिस्टर

(83)

प्ररूप-17
(नियम 10 और 34 के अंतर्गत)

पंचायत..... विकास खण्ड जिला बिलासपुर (हि०प्र)

उपरिष्ठत सरस्यों के नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	हरताहार
2	3	4
464 श्री. की. कुमारे	उपखंडा समिति	श्री. की. कुमारे
465 नीरा देवी	७	श्री. देवी
466 शकुन्तला देवी	७	शकुन्तला
467 सदा राम	७	श्री. राम
468 पूजा	७	श्री. पूजा
469 शीमा कुमारी	७	श्री. शीमा
470 रमेश कुमार	७	रमेश
471 जीतनंद देव	७	जीतनंद
472 कुवा देवी	७	कुवा देवी
473 जसुका देवी	७	जसुका देवी
474 शीमा देवी	७	शीमा देवी
475 जयलक्ष्मी देवी	७	जयलक्ष्मी देवी


 Panchayat Secretary
 G.P. Jhandutta
 Dev. Block Jhandutta
 Dist. Bilaspur (H.P.)

84

Sl. No.	Name	Age	Address
476	श्रीवानी देवी	51	...
477	अधु कुमारी	57	...
478	श्रीवती कुमारी	57	...
479	सुवर्णा चन्द	51	...
480	जगतन चन्द	51	...
481	सोहन चन्द	51	...
482	सौजीया देवी	51	...
483	राजकुमारीराम	51	...
484	Neeta Chandel	51	...
485	Vishakha chandel	51	...
486	जय राधा	51	...
487	Satisr Chand	51	...
488	सुमन देवी	51	...
489	जोगि देवी	51	...
490	Sarvesh	51	...


 Panchayat Secretary
 G.P. Jhandutta
 Dist. Bilaspur (H.P.)

कांठवाड़ी 510555

कार्यवाही रजिस्टर

85

प्ररूप-17

(नियम 10 और 34 देखें)

नाम पंचायत..... विकास खण्ड जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

मातृ संख्या उपस्थित सदस्यों के नाम निम्नलिखित कार्य का विवरण हस्ताक्षर

2

पृस्ताग सरभाचर 1 वन अधिकार समिति मौजा कण्डवा
 सोमम द्वाय प्रेषित अनुलग्न 1 पर चर्चा।
 आज की मुद्दल समा कण्डवा सोममजी वैठक
 में वन अधिकार समिति मौजा कण्डवा सोमम द्वाय प्रेषित अनु-
 लग्न 1 पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी उपस्थित लोगों
 से वतामा गया कि मौजा कण्डवा में सोमम में खसराचर
 1901/81/15/11 में 38.4 बीघा (2-8-4) हेक्टर
 भूमि पर भूमि सचिवालय का काम उपस्थापित है। किनांक
 25/04/2019 को भूमि सम्बन्धित अजितगार/साबुखिक व
 विभागाध्यक्ष, द्वाय आमगिर छिमे गमे में छिन्न निर्धारित
 सवधि में सभी द्वाय अजस्र मुद्दल समिति अजस्र
 कण्डवा सोमम से जाप चर्चा हुआ और वन अधिकार



Panchayat Secretary
 G.P. Jhandota
 Dist. Bilaspur (H.P.)

समिति अजस्र मुद्दल को अनुलग्नक-1 जारी किया गया है।

भारत का नाम खे जात चखे हमा धर! वन साधकार

86

समिति यजस्य मुद्दल को अनुलग्नक-1 जारी किया गया है
मह मुद्दल समा वनप्रधिकार समिति द्वारा जारी अनुलग्नक
-1 को अनुमोदित करणे है। डि यजस्य मुद्दल भारत
वायस्य मे वन वूमि ले सम्बन्धित हिसो भी उकार वायस्य
शाशय चखे है।

अनु: मह पत्ताव अनुलग्नक 2 सहित
उपमंडल अधिकारी (जाति भारत) को उपमंडल अधिकारी
समिति के समक्ष रखने हेतु संबंधित किया जाये।

पत्ताव सरमांठ 2: Issue PRA Certificate regarding
Boundary of forest and measuring Khorey
no. 1901/18/15/1 38.4 Bishar (2-87-4 tree)
Mahad Jhandutta Boyan Pargana Jharkhand Dist.
Jhandutta Distt Bilaspur d.p.

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झरखंड
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Panchayat Secretary
G.P. Jhandutta
Dev. Block Jhandutta
Distt. Bilaspur (H.P.)

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झरखंड
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झरखंड
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झरखंड
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Panchayat Secretary
G.P. Jhandutta
Dev. Block Jhandutta,
Distt. Bilaspur (H.P.)



कार्यालय ग्राम पंचायत झण्डुता.....

विकास खण्ड झण्डुता..., जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

क्रमांक.....

नकल प्रस्ताव

दिनांक.....

आज दिनांक ०७-०१-२०१९ को ग्राम पंचायत झण्डुता की बैठक प्रधान श्री/श्रीमती कृष्णा की अध्यक्षता में हुई इसमें ०९ सदस्य उपस्थित हुए और इस बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या:- न० १० :- ग्राम पंचायत झण्डुता के अन्तर्गत मिनी सचिवालय निर्माण बारे आपति उभाण पत्र बारे।


आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय जो वे द्वारा उस्ताव बैठक में रखा गया कि ग्राम पंचायत झण्डुता में मिनी सचिवालय का निर्माण होना उचित व आवश्यक है।

इस काम के होने में ग्राम पंचायत झण्डुता को कोई आपति नहीं है। मिनी सचिवालय का उस्तावित

रकबा ०२-४४-३० हेक्टेयर व नठ खस्य १९०॥१६॥क॥१५ वाक्य नैजा झण्डुता सोमन है। उस्ताव बैठक में सर्व सम्मति से पास हुआ।

उस्ताव स्वीकार है।

उति :- खेवामे श्रीमानजी उपमंडल अधिकारी (जा०) उपमंडल झण्डुता वी वी सेवामे उपाय है।


प्रधान
ग्राम पंचायत झण्डुता
विकास खण्ड झण्डुता
जिला बिलासपुर हि०प्र०

आज दिनांक 06-7-19 को 34 मसौदा संशोधन
आयुक्त को 24/07/19 में संशोधन हेतु

Forest Right Act लागू की वीस 34 मसौदा संशोधन को
विशेष निम्न प्रकार से संशोधन किया।

Sr. No	Name or designation
1.	श्री सीताराम शर्मा सहाय
2.	श्री श्री रामजी का
3.	श्री श्री सुनील शर्मा
4.	श्री श्री अशोक शर्मा R.F.O. अजमेर
5.	श्री श्री जगदीश R.F.O. कलकत्ता

13

Mat. no.	Signature
9480-72650	[Signature]
9484-59048	[Signature]
9658-22560	[Signature]
7085-38227	[Signature]
94590-71579	[Signature]

सर्व प्रथम अद्यतन केंद्रों
सहाय संशोधन वन पारिस्थितिकी विभाग
जायकारी की। इस वृत्त में निम्न
उपरोक्त सहायों के द्वारा
पुनः प्रारंभ हेतु उपरोक्त
1. PRA के तहत उपरोक्त
सहायों का कार्य प्रारंभ हेतु संशोधन

के सभी आवेदन सहायों का सम्बन्ध किया जायेगा
Right Act 2006 के तहत में आवेदन सुधारों के
कोई एक मद्द में प्रारंभ हेतु जो संशोधन जारी-2 पर
जमा तथा उपरोक्त सहायों के अन्तर्गत
के अन्तर्गत जारी करे जाये।
प्रारंभिक चरण (प्रारंभिक सुधार हेतु) को ही हेतु
जिस व श. गंगोई संशोधन 0-03-75 को (0-70)

- Jeepable Road from G.P.S. -
Pragman G.P. Matroun (H.P.)
- ग्राह्य प्रशासन वन विभाग के माद
- सहायों के पुनः प्रारंभ - अन्तर्गत
हेतु वीस।
- सहायों के वीस 0-70 वीस (0-8-76 हेतु) को ही प्रारंभिक सुधार हेतु संशोधन
- प्रारंभिक चरण (प्रारंभिक सुधार हेतु) को ही हेतु

matroun to village Bbharwin up to the House of
(0-13-55 हेतु 1-16 वीस) को ही प्रारंभिक सुधार
हेतु व 5-4 वीस (0-39-14 हेतु) को ही प्रारंभिक सुधार
हेतु प्रारंभिक सुधार हेतु संशोधन
के अन्तर्गत प्रारंभिक सुधार हेतु संशोधन

(14)

नाम सुरेश बाबू।
प. सिन्धी साधवली के निर्माण हेतु खेत

नाम सुरेश बाबू।

सभी बरकरा एवं गैर खेती
प्रयोजन ग्राहक हों। प्रायः पंचायत द्वारा
अधिकतर भेदांक में एकी सरकारी से
आपने इस अपेक्षा वर्तमान योजनाओं
संश्लेषित करने पर-वृत्त स्थिति की सरकारी
आतः अपेक्षा वर्तमान योजनाओं
द्वारा ही जोर देने का

सरकारों के उच्च अधिकारियों की जांचकमी से गरीबों
अन्वेषण मुक्तता का जोर देना होगा। उचित आर्थिक
सुविधाएँ मिलें कि जोर देनी चाहिए। समुदाय के
जोड़ प्रायः दुई ही वे जोर देना में नहीं हों
हाल एका ग्राहक ध्यान में नहीं लाया गया।
के लिए उपयुक्त कारीगरी प्रशिक्षण द्वारा अन्वेषण
अपनी संस्थानों को देना है।
ने एकी अपेक्षा सरकारी का अनुवाद किया गया।

अब मैं अपना अधिकार
वैधक सम्पन्न हूँ।

Jha
Sub Divisional Magistrate
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

Jha
Sub Divisional Officer (G),
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)